

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-4
संख्या-~~मु.146~~सेक-4 / पांच-2010-जी0-68 / 2005
लखनऊ : दिनांक 26 अक्टूबर, 2010

कार्यालय-ज्ञाप

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जन सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी नामित किये जाने विषयक पूर्व में निर्गत आदेशों को अवकमित करते हुए तत्काल प्रभाव से वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों को निम्नानुसार जन सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी नामित किया जाता है:-

क्रम सं०	अनुभाग का नाम	जन सूचना अधिकारी का नाम व पदनाम	कार्यालय दूरभाष	अपीलीय अधिकारी का नाम व पदनाम	कार्यालय दूरभाष
1	2	3	4	5	6
1	चिकि0अनु0-1	श्री सुधीर सिंह चौहान, अनु सचिव	9454413184 2623707	श्री मुख्तियार , संयुक्त सचिव	9454411588 2613966
2	चिकि0अनु0-2	श्री ओम प्रकाश, उप सचिव	9235638688 2614293	श्री राज किशोर यादव, विशेष सचिव	9454413207 2621422
3	चिकि0अनु0-3	श्री विनोद कुमार सिंह, अनु सचिव	9454412460 2626328	श्री राज किशोर यादव, विशेष सचिव	9454413207 2621422
4	चिकि0अनु0-4	श्री राम नारायण, अनु सचिव	9454412041 2628373	श्री राज किशोर यादव, विशेष सचिव	9454413207 2621422
5	चिकि0अनु0-5	श्री सुधीर सिंह चौहान, अनु सचिव	9454413184 2623707	श्री मुख्तियार , संयुक्त सचिव	9454411588 2613966
6	चिकि0अनु0-6	श्री जितेन्द्र राम त्रिपाठी, अनु सचिव	9454413185 2623707	श्री दीना नाथ गुप्ता, संयुक्त सचिव	9454411804 2624174
7	चिकि0अनु0-7	श्री जितेन्द्र राम त्रिपाठी, अनु सचिव	9454413185 2623707	श्री राज किशोर यादव, विशेष सचिव	9454413207 2621422
8	चिकि0अनु0-9	श्री आर0एस0 परिहार, अनु सचिव	9454413186 2234766	श्री मुख्तियार , संयुक्त सचिव	9454411588 2613966

9	चिकि०अनु०-10	श्री आर०एस० परिहार, अनु सचिव	9454413186 2234766	श्री मुख्तियार, संयुक्त सचिव	9454411588 2613966
10	चिकि०अनु०-11	श्री विनोद कुमार सिंह, अनु सचिव	9454412460 2626328	श्री राज किशोर यादव, विशेष सचिव	9454413207 2621422
11	चिकि० लेखा प्रकरेष्ट	श्री राम नारायण, अनु सचिव	9454412041 2628373	श्री दीना नाथ गुप्ता, संयुक्त सचिव	9454411804 2624174

2- जन सूचना अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि समय-समय पर प्राप्त प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण अधिनियम की धारा-6(तीन) एवं 8 (दो) के अनुसार किया जाय।

3- उपर्युक्त नामित अधिकारियों के स्थानान्तरण अथवा कार्य विभाजन बदले जाने के फलस्वरूप तदनुसार उनके प्रतिस्थानी जन सूचना अधिकारी/ अपीलीय अधिकारी समझे जायेंगे।

प्रभात कुमार सारंगी,
सचिव।

संख्या-~~25~~/46 (1)सेक-4 / पांच-2010-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, राज्य सूचना आयोग, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- 2- प्रशासनिक सुधार अनुभाग- 2 को उनके पत्र संख्या- 1549/43-2-2010 दिनांक 29.09.2010 के क्रम में।
- 3- संबंधित अधिकारीगण/समस्त अनुभाग, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
- 4- निजी सचिव, सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
- 5- चिकित्सा कम्प्यूटर प्रकोष्ठ को इस निर्देश के साथ कि उपर्युक्त आदेश को वेबसाइट पर लोड कराकर सी.डी. अनुभाग को उपलब्ध कराये।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
LNL
(राम नारायण),
अनु सचिव।

✓

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-4
संख्या-3058सेक-4/पांच-2010-जी0-38/2007
लखनऊ : दिनांक 19 अक्टूबर, 2010

कार्यालय-ज्ञाप

कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 3456सेक-4/पांच-2007, दिनांक 24.09.2007 तथा कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1478सेक-4/पांच-2010, दिनांक 17 मई, 2010को निरस्त करते हुए सचिवालय नियम संग्रह के नियम- 11 एवं प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 164/तैतालीस-1-99, दिनांक 17.05.1999 के प्राविधानानुसार चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रमुख सचिव एवं सचिव तथा सचिव एवं विशेष सचिव द्वारा निम्नवत् कार्यों का निस्तारण किया जायेगा :-

(1) प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा देखे जाने वाले कार्यों का विवरण-

1. मा0 मंत्रि परिषद/मा0 मुख्यमंत्री जी/महामहिम राज्यपाल से संबंधित मामले।
2. भारत सरकार से संबंधित संदर्भों का निस्तारण।
3. विधान मण्डल के तारांकित प्रश्नों का अनुमोदन।
4. विभागीय वार्षिक/पंच वर्षीय योजना/बजट का अनुमोदन।
5. जिला/सामुदायिक/प्राथमिक/उपकेन्द्र आदि चिकित्सालयों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति।
6. समूह-"क" एवं उससे ऊपर के अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता जॉच/अनुशासनिक कार्यवाही आदि के मामले।
7. वित्तीय स्वीकृति संबंधी समस्त मामले।
8. चिकित्सा सचिव शाखा के अनुभाग अधिकारियों एवं उनसे ऊपर के अधिकारियों का अधिष्ठान कार्य।
9. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन।
10. सचिव को प्रतिनिधानित समस्त अधिकार।

(2) सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा देखे जाने वाले कार्यों का विवरण-

1. चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के समूह-"क" एवं "ख" के अधिकारियों की अवकाश स्वीकृति से संबंधित मामले।
2. समूह-"ख" एवं "ग" के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक जॉच/कार्यवाही का अनुमोदन।
3. विभागाध्यक्ष/चिकित्सा सचिव शाखा के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की अपीलों का निस्तारण।

4. विभाग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को पासपोर्ट जारी किये जाने की स्वीकृति।
5. चिकित्सा अनुभाग-6 से संबंधित विभिन्न विभागों से प्राप्त चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के मामले।
6. समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के सचिवालय प्रवेश-पत्र निर्गत किये जाने का अनुमोदन।
7. समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण हेतु नामांकन/ अध्ययन कार्य की अनुमति का अनुमोदन।
8. विधान मण्डल के अतारांकित प्रश्नों/ग्राह्य नियमों की सूचना का उत्तर का अनुमोदन।
9. विधान मण्डल की विभिन्न समितियों (पी0ए0सी0, आश्वासन समिति, प्रांकलन समिति, एस0सी0एस0टी0/विमुक्त जातियों से संबंधित समिति आदि) को भेजे जाने वाली टिप्पणी/सूचना का अनुमोदन।
10. रूपये दो करोड़ की धनराशि तक के पुनर्विनियोग/पुनरीक्षण आगणन का अनुमोदन।
11. रूपये पाँच करोड़ तक की धनराशि के आगणन-मूल्यांकन की स्वीकृति।
12. चालू वित्तीय परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एजेंसी को जारी किये जाने वाली धनराशि की स्वीकृति।
13. आवश्यकतानुसार विभागीय प्रगति समीक्षा।
14. प्रमुख सचिव महोदय की अनुपस्थिति में समस्त कार्यों का निस्तारण।

(3) विशेष सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा देखे जाने वाले कार्यों का विवरण—

1. विधान मण्डल सत्र के समय विभिन्न नियमों के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सूचनाओं का उत्तर।
2. विभिन्न रिट याचिकाओं में प्रतिवाद के आदेश निर्गत संबंधी कार्य।
3. चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा सचिव शाखा के समूह-“ग” एवं “घ” के कर्मचारियों से संबंधित समस्त अधिष्ठान कार्य।
4. चिकित्सा सचिव शाखा के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को जी0पी0एफ0 अग्रिम/अन्य अग्रिमों की स्वीकृति से संबंधित समस्त कार्य।
5. चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा सचिव शाखा के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति से संबंधित मामलों का निस्तारण।
6. विभिन्न प्रश्नों/रिट याचिकाओं/ वित्तीय मामलों/विभिन्न शिकायतों आदि के संबंध में सूचना मांगे जाने संबंधी कार्यों का निस्तारण।
7. समूह-“घ” के कर्मचारियों के विरुद्ध पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों आदि का निस्तारण।
8. प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा अपेक्षित अन्य कार्य।

राज किशोर यादव,
विशेष सचिव।

संख्या-3058 (1)सेक-4/पांच-2010-तददिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
 - 2- प्रमुख स्टाफ् आफिसर, कैबिनेट सचिव/मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
 - 3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/परिवार कल्याण।
 - 4- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
 - 5- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें/परिवार कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
 - 6- निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
 - 7- चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के समस्त अधिकारीगण/अनुभाग।
 - 8- प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1/ सचिवालय प्रशासन अनुभाग- 1 (अधिष्ठान)
 - 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
21/11/10
(राम नारायण),
अनु सचिव।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण शाखा के अनुभागों द्वारा निस्तारित किये जा रहे कार्यों का विवरण ।

चिकित्सा अनुभाग-1

- 111 जिला मुख्यालय स्तर के सगस्त चिकित्सालयों एवं एलोपैथिक औषधालयों से सम्बन्धित मामले, जिनमें नई चिकित्सा विभिष्टताओं को जोड़ने का कार्य भी सम्मिलित है, यथा- चिकित्सालय भवनों का निर्माण, एम्बुलेन्स सेवाएँ, शैया वृद्धि, जल सम्पूर्ति, उपकरणों एवं साज-सज्जा की व्यवस्था, शव गृहों का निर्माण रक्त कोषों की स्थापना, रतिरोग रुजालयों की स्थापना, आवासीय एवं कार्यालय भवनों का निर्माण आदि सम्मिलित है। उक्त के बजट प्राविधान राजस्व/पूँजीगत मद की वित्तीय स्वीकृतियाँ ।
- 112 औषधीय क्रय नीति का निर्धारण 1सी0एम0एस0डी0।
- 113 निदेशालय के विद्युत यान्त्रिक अनुरक्षण कोष्ठक के अधिष्ठान का कार्य ।
- 114 निष्प्रायोज्य सामग्री का समन्वय कार्य ।
- 115 जिला एवं मण्डल स्तरीय चिकित्सालयों के शुल्कों का निर्धारण ।
- 116 चिकित्सालयों के लिए मानक का निर्धारण ।
- 117 ओपेक सहायित, बस्ती चिकित्सालय का निर्माण ।
- 118 जिला एवं मण्डल स्तरीय चिकित्सालयों के निरीक्षण रिपोर्टों पर कार्यवाही ।
- 119 राष्ट्रीय एड्स निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम का कार्यान्वयन ।
- 110 जिला एवं राज्ज स्तरीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सलाहकार समितियों का गठन ।
- 111 जिला स्तरीय चिकित्सालयों की शिकायतों का निराकरण ।
- 112 राज्य क्षेत्रीय परिषद से सम्बन्धित कार्य ।
- 113 उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम परियोजना का कार्य ।
- 114 गूजर चार्ज ।
- 115 उक्त कार्यों से सम्बन्धित समन्वय कार्य ।

16 उद्योग वधु से सम्बन्धित कार्य ।

चिकित्सा अनुभाग-2

=====

11. ~~सीनियर~~ सीनियर स्केल तथा उससे ऊपर के अधिकारियों के अधिष्ठान का समस्त कार्य, जिसे अग्रिमों की स्वीकृति, शिकायतों का निस्तारण आदि भी सम्मिलित है ।
12. स्वास्थ्य सेवा निदेशालय से सम्बन्धित कार्य : लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के मामले को छोड़कर ; ।
13. प्रशासकीय अधिकारियों के प्रतिनिधायन ।
14. वेतन आयोग तथा उसकी रिपोर्ट से सम्बन्धित समस्त समन्वय कार्य ।
15. विभाग के समस्त अधिकारियों के अधिकारों का प्रतिनिधायन ।
16. विभागीय अधिकारियों का प्रशिक्षण ।
17. मेडिको लीगल सम्बन्धी x कार्य ।
18. सतर्कता जाँच सम्बन्धी समन्वय कार्य ।
19. स्वास्थ्य सेवा महा निदेशालय से सम्बन्धित पदों का सृजन/निरन्तरता/स्थायीकरण सम्बन्धी कार्य ।
20. उक्त कार्यों से सम्बन्धित समन्वय कार्य ।



चिकित्सा अनुभाग-3

- 11.4 पीठरोगचिकित्सा मुख्य साधारण ग्रेड अधिकारियों का अधिष्ठाता का सम्बन्धित कार्य, जिसमें शिकारतें आदि सम्मिलित हैं ।
12. दन्त शल्यकों से सम्बन्धित सम्बन्धित कार्य ।
13. हज कमेटी से सम्बन्धित सम्बन्धित कार्य ।
14. रिट मायिकाओं/स्वायत्त सम्बन्धी समन्वय कार्य ।
15. लीगल सेल का गठन एवं इससे सम्बन्धित सम्बन्धित कार्य ।
16. उत्तरांचल राज्य से सम्बन्धित सम्बन्धित कार्य ।
17. उक्त कार्यों से सम्बन्धित सम्बन्धित समन्वय कार्य ।

-----4/-----




- 111 राजस्व स्वास्थ्य परिवहन संगठन से सम्बन्धित कार्य ।
- 112 स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, क्षेत्रीय आर निदेशक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिपिक वर्ग/कर्मचारियों से सम्बन्धित कार्य ।
- 113 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से सम्बन्धित कार्य ।
- 114 मोटर, कार, स्कूटर, गृह निर्माण अग्रिम से सम्बन्धित कार्य ।
- 115 नागरिक सुरक्षा/आन्तरिक सुरक्षा/सचिवालय सुरक्षा का कार्य ।
- 116 विधान सभा प्रश्नों से सम्बन्धित समन्वय कार्य ।
- 117 विधान परिषद प्रश्नों से सम्बन्धित समन्वय कार्य ।
- 118 लोक सभा तथा राजसभा प्रश्नों से सम्बन्धित समन्वय कार्य ।
- 119 विधान सभा/विधान परिषद में विभिन्न नियमों के तहत माओ सदस्यों द्वारा दायी गयी सूचनाओं का समन्वय कार्य ।
- 1110 वित्तीय एवं प्रशासकीय विलम्ब समिति से सम्बन्धित समन्वय कार्य ।
- 1111 महामहिम राज्यपाल द्वारा की गयी घोषणाओं से सम्बन्धित समन्वय कार्य ।
- 1112 माओ मुख्य मंत्री कार्यालय से प्राप्त संदर्भों का समन्वय कार्य ।
- 1113 माओ संसद सदस्यों/विधान सभा/विधान परिषद सदस्यों से प्राप्त संदर्भों का समन्वय कार्य ।
- 1114 कार्मिक एवं नियमावली से सम्बन्धित समन्वय कार्य ।
- 1115 माओ मुख्य मंत्री जी द्वारा माँगी गयी सूचनाओं से सम्बन्धित समन्वय कार्य ।
- 1116 स्वास्थ्य सचिव, मुख्य सचिव तथा अन्य विभागों द्वारा विभिन्न विषयों पर चिकित्सा शाखा के समन्वय में माँगी गयी सूचनाओं का समन्वय कार्य ।

चिकित्सा अनुभाग-4

- ॥17॥ प्रश्न एवं संदर्भ समिति से सम्बन्धित समन्वय कार्य ।
- ॥18॥ सदभावना समिति से सम्बन्धित समन्वय कार्य ।
- ॥19॥ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के सम्मेलन से सम्बन्धित समन्वय कार्य ।
- ॥20॥ केन्द्रीय मंत्रीगणों से प्राप्त सन्दर्भों का समन्वय कार्य ।
- ॥21॥ मा० प्रधान मंत्री जी द्वारा की गयी घोषणाओं का समन्वय कार्य ।
- ॥22॥ मायिका समिति से सम्बन्धित समन्वय कार्य ।
- ॥23॥ स्वास्थ्य विभाग में गठित समितियों से सम्बन्धित समन्वय कार्य ।
- ॥24॥ अनुभागों में की गयी वीडिंग/रिकार्डिंग से सम्बन्धित समन्वय कार्य ।
- ॥25॥ उक्त कार्यों से सम्बन्धित समन्वय कार्य ।

-----6/=-



चिकित्सा अनुभाग-5
=====


- §11 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं का समन्वय कार्य ।
- §12 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का आयोजनागत/आयोजनेत्त आय-व्ययक तथा बजट साहित्य के खण्ड-6 में प्रकाशनार्थ, सामग्री का संकलन एवं प्रेषण ।
- §13 वित्त आयोग से सम्बन्धित मामलों का समन्वय कार्य ।
- §14 प्रकल्पन समिति से सम्बन्धित समन्वय कार्य ।
- §15 आशवासन समिति से सम्बन्धित समन्वय कार्य ।
- §16 लोक लेखा समिति से सम्बन्धित समन्वय कार्य ।
- §17 विभागीय स्थायी समिति ।
- §18 लेखा निरीक्षण प्रतिवेदन तथा ड्रॉट प्रस्तरों से सम्बन्धित समन्वय कार्य ।
- §19 विभागीय कार्य-पूर्ति दिग्दर्शक/स्वास्थ्य समीक्षा ।
- §10 मा० वित्त मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री जी का वजट भाषण ।
- §11 महासहिम राजपाल का अभिभाषण ।
- §12 प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में वित्तीय गवर्न एवं लूट-से सम्बन्धित प्रकरणों की जाँच ।
- §13 नीति-निर्धारण प्रकोष्ठ का कार्य ।
- §14 आह्वरण एवं वितरण अधिकारियों को कोड आवंटन ।
- §15 नियोजन विभाग की मासिक बैठकों का समन्वय ।
- §16 विभाग के पुनर्विनियोजन सम्बन्धी समस्त कार्य ।
- §17 अनुपूरक अमुदानों से सम्बन्धित प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किया जाता ।
- §18 पंचवर्षीय योजनाओं संबंधी समन्वय कार्य ।
- §19 भारत सरकार के लम्बित सन्दर्भों का समन्वय कार्य ।
- §20 विभागीय प्राथमिकताओं का निर्धारण ।
- §21 उक्त कार्यों से सम्बन्धित समस्त समन्वय कार्य ।

(22) अलेखिया सुवाही से सम्बन्धित अलेखिया सुवाही का कार्य
-----7/-----
सुवाही सुवाही से सम्बन्धित कार्य

- 11] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सागुदा रिक स्वास्थ्य केन्द्र से सम्बन्धित समस्त कार्य, जिसमें उनकी स्थापना, उच्चीकरण, अतिरिक्त सुविधाओं तथा विभिन्न विशिष्टताओं की व्यवस्था सम्मिलित है।
- 12] चिकित्सा परिचर्या नियमावली से सम्बन्धित समस्त कार्य।
- 13] चिकित्सा प्रतियूर्ति से सम्बन्धित कार्य।
- 14] स्टेट मेडिकल फैकल्टी/कौंसिल/मेडिकल ऐक्ट, 30 प्र०।
- 15] फर्जी डाक्टरों से सम्बन्धित कार्य।
- 16] जिला अस्पतालों को छोड़कर अन्य अस्पतालों के सम्बन्ध में शिक्षण
- 17] ग्रामीण अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सागुदा रिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्त्रि स्त्रो क्रिग कलाय/उत्से सम्बन्धित किलों/गोष्ठियों व निस्तारण।
- 18] विभागीय भवनों के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित समन्वय कार्य।
- 19] चिकित्सा कर्मियों के दान सम्बन्धी सभी मामले मेडिकल कलेजों से संबंधित मामलों को छोड़कर।
- 110] सितिल सेवा के इंजीनियरों से सम्बन्धित समस्त कार्य।
- 111] प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) से सम्बन्धित कार्य।
- 112] मा० मुख्य मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री जी की धोषणाओं का समन्वय कार्य
- 113] उक्त कार्यों से सम्बन्धित समस्त समन्वय कार्य।

चिकित्सा अनुभाग-7
 = = = = =

- 11। फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, नेत्र सहायक, एकरे टेक्नीशियन, डाक्टर
 सहायक, डेंटल सहायक, जिनिस्ट, फिजियोथिरेपिस्ट, आकुशानल
 फिजियोथिरेपिस्ट, ई0सी0सी0 टेक्नीशियन, ई0ई0जी टेक्नीशियन,
 नान मेडिकल असिस्टेंट, नान मेडिकल सुपरवाइजर, हेल्थ ऐजुकैटर,
 अन्वेषक ^{संगणक} कर्म ~~संगणक~~ बी0सी0जी0 टेक्नीशियन, बी0सी0जी0 टीमली
 टी0बी0 स्वास्थ्य परिदर्शक के अधिष्ठान विषयक कार्य ।
- 12। समस्त पैरामेडिकल कार्मिकों के प्रशिक्षण जो स्टेट मेडिकल कैकल्टी
 दिये जाते है, से सम्बन्धित समस्त कार्य ।
- 13। फार्मैसी काउन्सिल से सम्बन्धित समस्त कार्य, प्रशिक्षण का कोर्स वि
 क्षेत्रों में चलाये जाने हेतु संस्थाओं को मान्यता दिया जाना ।
- 14। जिला क्षय रोग केन्द्रों, मानसिक चिकित्सालय, कुष्ठ इकाइयों की
 स्थापना, नेत्र बार्ड/ओ0टी0 बार्ड की स्थापना ।
- 15। राष्ट्रीय अन्धता निवारण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्य
 राष्ट्रीय क्षय नियंत्रक कार्यक्रम, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम एवं
 मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम से सम्बन्धित कार्य ।
- 16। स्वैचिक संस्थाओं एलोपैथिक को अनुदान, दुर्बल आय के व्यक्ति
के गम्भीर रोगों के उपचार हेतु अनावर्तक अनुदान, मा0 स्वास्थ्य
मंत्री के विवेकाधीन कोष से अनुदान ।
- 17। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित कार्य, जीस सूत्रीय कार्यक्रम के सम
का कार्य ।
- 18। उक्त कार्यों से सम्बन्धित समस्त सम्बन्ध कार्य ।



चिकित्सा अनुभाग-11
=====

- 111 ग्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महिला संवर्ग चिकित्साधिकारियों के अधिष्ठान का समस्त कार्य जि लोक सेवा आयोग को चयन हेतु अधिसूचना भेजा जाना नियुक्ति, स्थायीकरण, प्रोन्नति तथा महिला चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का निस्तारण सम्मिलित है ।
- 112 नर्सिंग संवर्ग से सम्बन्धित समस्त कार्य, नर्सिंग प्रशिक्षण के को मान्यता । नर्सिंग संवर्ग से संबंधित विधान सभा प्र विधान परिषद भवन/आशवासन आदि ।
- 113 ~~ग्लास पोलियो प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित कार्य जिसमें कार्यक्रम निर्माण एवं अनुश्रवण पर्यवेक्षण आदि सम्मिलित~~
- 114 मानवाधिकार का समन्वय कार्य ।
- 115 उक्त कार्यों से सम्बन्धित समस्त समन्वय कार्य ।

6 नर्सिंग अखिलेश से सम्बन्धित कार्य
-----14/1